



उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग

सिविल वृत्त लो.नि.वि., रुद्रप्रयाग,

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
ऊखीमठ—रुद्रप्रयाग

वन भूमि
हस्तान्तरण पत्रावली

विषय:— जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि को हस्तान्तरण।

ग्राम:—	नागजगई, टेमरिया, गिवांडीगाँव (परकण्डी)
राजस्व उ.नि.क्षेत्र:—	भीरी
तहसील:—	ऊखीमठ
जनपद :—	रुद्रप्रयाग
क्षेत्रफल:—	राज्य वनभूमि 1.138 है० मोटर मार्ग हेतु राज्य भूमि 0.313 है० मक इम्पिंग हेतु कुल वनभूमि = 1.451 है०

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

क्र० सं०	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है/नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी/ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण-पत्र।	8	संलग्न है	-
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, 2 तथा भाग-3	9-13	संलग्न है	-
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	14-17	संलग्न है	-
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	18	संलग्न है	-
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संलग्न है	-
6	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफिक मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अलग-अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	-
7	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	-
8	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	-
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	22-A	संलग्न है	-
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक संरक्षण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21-22	संलग्न है	-
11	वैकल्पिक संरक्षण तलाशें जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	23-32	संलग्न है	-
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	33	संलग्न है	-
13	प्रभावित भूमि का लैंड शैड्यूल।	35-36	संलग्न है	-
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	37	संलग्न है	-
15	बार चार्ट।	38	संलग्न है	-
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण-पत्र।	39	संलग्न है	-
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार/ व्यासवार विवरण।	40-47	संलग्न है	-
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन/सारांश।	49-51	संलग्न है	-
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	48	संलग्न है	-
20	बौज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण-पत्र।	52	संलग्न है	-
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	54	संलग्न है	-
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र।	55-56	संलग्न है	-
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	57	संलग्न है	-
25	राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	58-60	संलग्न है	-
27	लागत लाभ विश्लेषण। (5 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना 5 हे० से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	61-67	संलग्न है	-

29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित परियोजना भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।
31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	68-70	संलग्न है	-
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	71	संलग्न है	-
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियों मान्य होने का प्रमाणपत्र	72-73	संलग्न है	-
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	74-75	संलग्न है	-
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	76	संलग्न है	-
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	77	संलग्न है	-
37	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	78	संलग्न है	-
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	79	संलग्न है	-
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	80	संलग्न है	-
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। (1 हे० से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	85-87	संलग्न है	-
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	88	संलग्न है	-
42	1:50,000 पैमाने का टोपोग्राफी का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	81-82	संलग्न है	-
43	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	83-84	संलग्न है	-
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन।		संलग्न है	-
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	-
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध ।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	-
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्य का प्राक्कलन।	89-92	संलग्न है	-
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आकलन।	93	संलग्न है	-
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	94	संलग्न है	-
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	95	संलग्न है	-
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	96	संलग्न है	-
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	97	संलग्न है	-
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	लागू नहीं है	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

1-परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	1.138 मोटर मार्ग हेतु + 0.313 मकड़मिंग हेतु = 1.451
नाप भूमि	2.498
वन पंचायत भूमि	शून्य
योग	3.949

3-प्रस्तावक विभाग का नाम -

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ

4-वन प्रभाग का नाम -

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है-

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भरी गयी है -

हाँ/नहीं

7-क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

बिन्दुओं की सूचना भरी गई है -

हाँ/नहीं

8- क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है-

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची /प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्याधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/नहीं

- 13-समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है - हाँ / नहीं
- 14-क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है- हाँ / नहीं
- 15-क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है - हाँ / नहीं
- 16-क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है- हाँ / नहीं
- 17-प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आसपास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है- हाँ / नहीं
- 18-क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं- हाँ / नहीं
- 19-प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है- हाँ / नहीं
यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण-पत्र संलग्न है - हाँ / नहीं
- 20-क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है हाँ / नहीं
- 21-प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है-
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)
- 22-क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है - हाँ / नहीं
- 23-यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है - हाँ / नहीं
- 24-क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ / नहीं
- 25-यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26-सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनायें/वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं- हाँ / नहीं
- 27-वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)।

28-लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है

(5.00 है.से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)

हाँ/नहीं

29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है

हाँ/नहीं

30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है

हाँ/नहीं

अथवा

मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है

हाँ/नहीं

31-राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के

साथ संलग्न है

हाँ/नहीं

32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न है

यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई है तो क्या वे सत्यापित हैं-

हाँ/नहीं

33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है-

हाँ/नहीं

35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है-

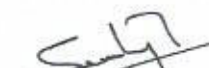
हाँ/नहीं

36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गई है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिकारी, गुप्तकाशी
यूनिट प्रमुख अधिकारी


उपप्रभारी वनाधिकारी
जखली उप वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप प्रभारी वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग वनाधिकारी

प्रपत्र-1

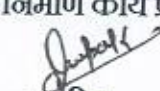
प्रतिवेदन

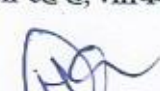
परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत नागजगई-फेगू-बरम्वाड़ी मोटर मार्ग का विस्तार सेतु सहित निर्माण हेतु वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

इस परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 2555 / III (2) / 06-41(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 26/09/2006 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित वसावतों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु उक्त मोटर मार्ग 4.00 कि०मी० लम्बाई में स्वीकृत है तथा वास्तविक लम्बाई 4.400 कि०मी० है, जिसकी धनराशी रू० 289.50 है। उक्त मोटर मार्ग के समरेखण में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मी० में)	चौड़ाई (मी० में)	कुल क्षेत्रफल (है०में)
1	आरक्षित वन भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
2	राज्य भूमि (I) मोटर मार्ग निर्माण हेतु (II) मक इम्पिंग हेतु	1625	7	1.138 + 0.313 = 1.451
3	वन पंचायत भूमि	शून्य	शून्य	शून्य
	वनभूमि का योग:-	1625	7	1.138 + 0.313 = 1.451
4	नाप भूमि	2775	9	2.498
	कुल योग:-	4400	-	3.949

अतः वन भूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं, ताकि वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।


अमीन,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ, (रुद्रप्रयाग)